26050 million as given in details for the last three years:—

	1992-93	1993-94	1994-95
		(Rupees in Million)	
Domestic Software Industry	4900	6950	10700
Export Software	6750	10200	15350
TOTAL:	11650	17150	26050

The world market of software is approx. US $360 billion at present, which is growing at the rate of 10% and approximately 3 to 6% of that representing the inter country trade in software and Indian share is approximately of that market.

(c) Software is permitted to be imported on Open General Licence (OGL) in any media or in any numbers of copies by actual user, computer manufacturer or any body for third party sale.

The imports during the last two years from various countries is given below:—

	1993-94	1994-95
	(Rs. in million)	
USA	285.3	283.9
U.K.	63.0	82.0
Singapore	135.3	413.6
Japan	3.5	26.4
Germany	18.1	43.2
Canada	8.2	17.3
Australia	19.5	43.1
TOTAL	565.0	1053.0

Import including other countries

(d) Government has reduced the import duty on all software to encourage the development of uptodate and customised application software, its competitiveness in the domestic industry and thus enhance the export potential and capabilities.

To promote software exports, five year tax holiday out of the block of first eight years has been given to Software Technology Park (STP) 100% units.

All STP units have been provided with central facilities comprising core computers, communication/datacum facilities to cater with the needs of software exporters for 100% export purposes. Videsh Sanchar Nigam Limited (VSNL) is also providing similar facilities to other units/industries.

औद्योगिक अनुसंधान

1765. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा वर्ष 1991 में देश में नयी उदारीकृत औद्योगिक नीति की घोषणा करने के बाद भारतीय उद्योग को विश्व उद्योग के मुकाबले प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सफल प्रतिस्पर्धा हेतु देश में औद्योगिक अनुसंधान को गति दिए जाने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि जर्मनी में 2.9 प्रतिशत, अमरीका में 2.9 प्रतिशत, जापान में 2.8 प्रतिशत और इंग्लैंड में 2.3 प्रतिशत की तुलना में हमारे देश में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मात्र 0.8 प्रतिशत ही अनुसंधान कार्य पर खर्च किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने शोध और अनुसंधान कार्य को गति देने के लिए क्या योजना तैयार की है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) और (ख) वर्ष 1991 में सरकार द्वारा घोषित नई उदारीकरण औद्योगिक नीति के कारण हमारे उद्योग को घरेलू तथा विश्वव्यापी बाजारों में मुख्य विदेशी कम्पनियों से संघर्ष की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास विदेशी कम्पनियों से सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए हमारे उद्योग को तकनीकी एवं वाणिज्यिक स्तर पर पर्याप्त रूप से सुदृढ़ बनाने में वास्तव में निर्णायक भूमिका अदा करता है।

(ग) यह सच है कि वर्ष 1992-93 के दौरान औद्योगिक रूप से विकसित देशों में 2-4 प्रतिशत की तुलना में भारत में अनुसंधान एवं विकास व्यय सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 0.83 प्रतिशत था।

(घ) उद्योग द्वारा अनुसंधान व विकास (आर एंड डी) को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अनेक तरीके निकाले हैं। इन तरीकों को मुख्यतः तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्रथम, सरकार ने उद्योग द्वारा अनुसंधान व विकास को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु अनेक वित्तीय प्रोत्साहन शुरू किए हैं ताकि ऐसे अनुसंधान व विकास के परिणामों का वाणिज्यीकरण करके औद्योगिक कम्पनियों तथा सार्वजनिक निधिबद्ध अनुसंधान व विकास प्रयोगशालाओं के बीच अंतक्रिया को बढ़ावा दिया जा सके। उन प्रोत्साहनों की सूची विवरण-I में दी गई है। **(नीचे देखिए)** द्वितीय, अनेक सरकारी विभाग उद्योग में अनुसंधान व विकास परियोजनाओं के प्रत्यक्ष निधियन के कार्यक्रमों को आरम्भ कर रहे हैं। इस समय जारी मुख्य कार्यक्रमों का सारांश विवरण-II में दिया गया है, **(नीचे देखिए)** तृतीय, उद्योग द्वारा सार्वजनिक रूप से निधि प्रदत्त अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के अनुसंधान एवं विकास परिणामों के वाणिज्यीकरण करने में राष्ट्र का अग्रणी व पथप्रदर्शक राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ऐसे वाणिज्यीकरण को तीव्र ऐसे सधन करने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। उन क्रियाकलापों के मुख्य अंश विवरण-III में दिए हुए हैं।

विवरण-I

अनुसंधान व विकास हेतु उद्योग के पास उपलब्ध वित्तीय प्रोत्साहन तथा सहायक उपाय

1. आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनुसंधान व विकास खर्च पर शत प्रतिशत आयकर राहत।
2. अनुमोदित राष्ट्रीय अनुसंधान व विकास प्रयोगशा-लाओं व संस्थानों में उद्योग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान व विकास परियोजनाओं/कार्यक्रमों हेतु 125 प्रतिशत भारित कर छूट।
3. स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित संयंत्र व मशीनरी स्थापना पर 40 प्रतिशत (साधारण 25 प्रतिशत के स्थान पर) त्वरित मूल्यह्रास भत्ता।
4. स्वदेशी अनुसंधान व विकास के आधार पर मूल स्तर से उत्पादित थोक दवाओं हेतु मूल्य नियंत्रण छूट।
5. उद्योग द्वारा उत्कृष्ट घरेलू अनुसंधान व विकास उपलब्धियों तथा उद्योग द्वारा सार्वजनिक रूप से निधि प्रदत्त अनुसंधान व विकास के वाणिज्यीक-रण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार।

विवरण-II

सरकारी विभागों द्वारा उद्योग में अनुसंधान व विकास परियोजनाओं का प्रत्यक्ष निधीयन

1. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) अपने "प्रोग्राम एण्ड एट टैक्नोलाजिकल सैल्फ रिलायंस (डीएटीएसइ-आर)" के अधीन अब तक लगभग 100 अनुसंधान, विकास, डिजाइन तथा अभियांत्रिकी (आरडीडीइ) परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दे चुका है। इन परियोजनाओं में से कुछ का कार्य औद्योगिक कंपनियों ने स्वयं ले लिया है जबकि कुछ में औद्योगिक कंपनियों तथा सार्वजनिक रूप से निधि प्रदत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के बीच सहयोगी कार्य हुआ है। वर्ष 1994-95 के दौरान डीएसआइआर द्वारा दी गई परियोजना सहायता लगभग 7 करोड़ रुपए थी तथा 1995-96 के लिए प्रक्षेपण लगभग 10 करोड़ रूपए है। 1994-95 में इस सहायता से परियोजनाओं को लगभग 21 करोड़ रूपए प्रदान किए गए तथा 1995-96 में इसके लगभग 30 करोड़ रुपए होने की आशा है।
2. विज्ञान तथा प्रौद्योगिक विभाग (डीएसटी) अपनी तरफ से "गृह विकसित प्रौद्योगिकी योजनाओं", "औषध एवं भैषज अनुसंधान कार्यक्रम", "यंत्र विकास कार्यक्रम" तथा "उन्नत सामग्री विकास कार्यक्रम" जैसे अनेक औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों का निधीयन कर रहा है। 1994-95 के दौरान डीएसटी द्वारा ऐसी परियोजनाओं को दी गई सहायता लगभग 3 करोड़ रुपए थी।
3. वर्ष 1986 में अपनी स्थापना के समय से जैव प्रौद्योगिक विभाग (डीबीटी) उद्योग सहित अनेक एजेंसियों द्वारा शुरू किए गए बायो-प्रौद्योगिकी अनुसंधान तथा विकास के विभिन्न पहलुओं को बढ़ावा व वित्तीय सहायता दे रहा है। डीबीटी द्वारा समर्पित मुख्य क्षेत्र हैं एचआरडी बायो-प्रौद्योगिकी आरएंडडी तथा अवसंरचना विकास। डीबीटी अपने विभिन्न कार्य बलों के

माध्यम से उद्योगोन्मुख आरएंडडी परियोजनाओं की सहायता के लिए पिछले 3 वर्षों से 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से निधियों का आवंटन कर रहा है।

4. इलेक्ट्रानिकी विभाग ने "फन्डिंग आरएंडडी इन इलेक्ट्रॉनिकी टू इंडस्ट्री (फ्रेन्ड)" नामक नई योजना औद्योगिक आरएंडडी कार्यक्रमों के निधियन के लिए शुरू की हैं।

5. रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2005 तक रक्षा वस्तु सूची में स्वदेशी मदों को वर्तमान 30 प्रतिशत से संभावित 70 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए "सैल्फ रिलायंस इन डिफेंस सिस्टम" हेतु एक 10 वर्षीय योजना बनाई है। सैल्फ रिलायंस कार्यक्रम के मुख्य भाग हैः (क) क्रिटिकल स्पेयर्स के स्वदेशीकरण के माध्यम से विद्यमान प्रणालियों की सहायता; (ख) क्षमता बढ़ाने हेतु वर्तमान प्रणालियों को उन्नत करना; (ग) मुख्य प्रणालियों के आयात को कम करने के लिए क्रमिक रूप से स्वदेशी प्रणालियों को चलन में लाना।

6. कोयला मंत्रालय, स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) जैसे एक शीर्षस्थ वैज्ञानिक निकाय के माध्यम से कोयला अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करता है। कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक संस्था, केन्द्रीय खनन योजना एवं डिजाइन संस्थान (सीएमपीडीआई) रांची, कोयला व लिग्नाइट क्षेत्रों में आरएंडडी क्रियाकलापों का समन्वय करती है तथा एसएसआरसी को उसके कार्य करने में सहायता करती है। वर्ष 1993-94 के दौरान 36 आरएंडडी परियोजनाएं कार्यान्वित की गई। इन परियोजनाओं को दी गई निधियां 5 करोड़ 30 लाख रुपए थीं।

विवरण-III

सार्वजनिक निधि प्रदत्त आर एंड डी प्रणाली से प्राप्त परिणामों के उद्योग द्वारा वाणिज्यीकरण से संबंधित अनुसंधान विकास निगम के क्रियाकलाप

1. घरेलू बाजार में प्रयोगशाला के तकनीकी जानकारी का वाणिज्यीकरण

— उद्योग को स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का लाइसेंस प्रदान करना

— प्राथमिकता परियोजनाओं हेतु प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम को वित्तीय सहायता देना।

— प्रयोगशाला प्रक्रमों को सिद्ध करने/स्तर बढ़ाने के लिए पायलट संयंत्रों को स्थापित करने हेतु प्रौद्योगिकी विकास ऋण प्रदान करना

— प्रयोगाशाला प्रक्रमों का स्तर बढ़ाने हेतु डिजाइन एवं अभियांत्रिकी कार्यक्रम

— स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए नए साहसिक कार्यों के सम्पादन को सुगम बनाने हेतु इक्विटी भाग लेना

— नए उत्पाद/प्रक्रमों का सृजन करने तथा उनको व्यवसायिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित करने के लिए लघु एवन मध्य स्तर के उद्योगों को प्रोत्साहित करना तथा वित्तीय सहायता करना

— राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यीकरण कर रहे उद्यमियों को टेक्नो-वाणिज्यिक वित्तीय सहायता प्रदान करना

2. प्रौद्योगिकी का निर्यात

— भारत को प्रौद्योगिकी के स्रोत के रूप में दर्शाना

— औद्योगिक कम्पनियों को उनके उत्पादों को विदेश में पेटेंट करने के लिए सहायता करना

— विश्व स्तर पर ग्राहकों को स्वदेशी तकनीकी जानकारी का लाइसेंस देना

— स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर आधारित टर्नकी परियोजनाओं को विदेश में लागू करना

3. अन्वेषणों के उन्नयन तथा वाणिज्यीकरण

— सराहनीय आविष्कारों को पुरस्कार देना

— आविष्कारकों को सहायता तथा देश व विदेश में उनके आविष्कारों के पेटेंट में आर्थिक सहायता प्रदान करना

— आविष्कारकों के वाणिज्यीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना

4. प्रौद्योगिकी की हस्तान्तरण पर सूचना का प्रचार-प्रसार

— स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर उद्योग को सूचना प्रदान करना

— प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तान्तरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करना

— स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने हेतु प्रदर्शनियां लगाना, पत्रिकाएं प्रकाशित करना, श्रव्य-दृश्य आदि की व्यवस्था करना

Request for returning Sambhar Salt resources to Rajasthan

1766. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Rajasthan Government has urged the Centre to return to it the Sambhar Salt sources, as reported in 'The Financial Express', New Delhi, dated the 31st July, 1995;

(b) whether it is a fact that the integrated development of the entire area comprising the salt sources had not taken place due to the inefficient functioning of the Hindustan Salts Limited and its failure to develop salt-based industries;

(c) whether it is also a fact that the Hindustan Salts Limited had failed to pay any dividend to the State Government since 1974-75;

(d) what was the State Government's earning of average royalty before giving the entire area on lease and the position now; and

(e) what action Government have taken so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) yes, Sir.

(b) After transfer of Sambhar Salt sources in 1964 an amount of Rs. 372 lakhs has been invested on development which inter-alia included construction of dam, bridges, roads, conversion into Broad Gauge Railway, digging of bore-wells etc. The main reason for decline in the production of salt at Sambhar is inadequate flow of water into the lake due to construction of bundhs and dams on the feeder stream of the lake and licensing of large number of private salt manufacturers on the periphery of lake.

(c) A total dividend of Rs. 19.80 lakhs was paid till 1974. However, no dividend was declared after 1974 due to inadequacy of profits. Annual lease charges of Rs. 5.50 lakhs are being paid to the Government of Rajasthan as per the V.T. Krishnamachari Award. The total payment made till 31.3.94 is Rs. 184.80 lakhs.

(d) and (e) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Shortage of Essential Drugs in Safdarjung Hospital

1767. SHRI T. VENKATRAM REDDY:
SHRI G. PRATHAPA REDDY:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether there is shortage of essential drugs in Safdarjung Hospital;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether the budget allocated is insufficient to meet the cost of the drugs of this Hospital; and

(d) if so, the remedial measures being taken to ensure supply of essential and life-saving drugs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise

(c) No, Sir.

(d) Does not arise

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति

1768. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार के विभागों में अनुकम्पा के